

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(2) राज/वाद/2019

जयपुर दिनांक 08.09.2026

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
विभागाध्यक्ष, राजस्थान।

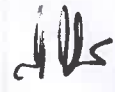
:: परिपत्र ::

विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.15(14)राज/वाद/2001 दिनांक 03.11.2004, प.12(13)/लाईट्स(1)/राज/वाद/2018 दिनांक 21.10.2019, बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक प.12(7)राज/वाद/2025 पार्ट दिनांक 15.10.25 की निरन्तरता में तथा परिपत्र क्रमांक प. 12(2)राज/वाद/2019 दिनांक 10.10.2019 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच के द्वारा डी.बी.सिविल अवमानना याचिका संख्या 922/2019 डॉ. पी.सी. मीणा बनाम राजस्थान सरकार जरिये प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.09. 2019 के क्रम में यह दिशा-निर्देश जारी किये गये थे कि ऐसे न्यायिक प्रकरण जिनमें एक से अधिक विभागों को पक्षकार बनाया गया है, उन प्रकरणों में जिस विभाग का मुख्य हित निहित है, उस विभाग के द्वारा ही समस्त विभागों की ओर से प्रतिरक्षण की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही एक ही अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता की ओर से सभी विपक्षी पक्षकारों की ओर से प्रतिरक्षण की कार्यवाही की जावेगी।

उक्त परिपत्रों के क्रम में यह ध्यान में लाया गया है कि वित्त विभाग को अनेक मामलों में पक्षकार बनाया जाता है जबकि मुख्य पक्षकार कोई अन्य विभाग होता है, इस हेतु वित्त विभाग द्वारा मुख्य विभाग को उनकी ओर से भी प्रतिरक्षण की कार्यवाही करने हेतु लिखा जाता है, उसके उपरान्त भी संबंधित विभाग द्वारा प्रभारी अधिकारी एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता/गवर्नमेंट काउंसिल को यह निर्देश नहीं दिये जाते हैं कि उनके द्वारा वित्त विभाग की ओर से भी जवाब प्रस्तुतीकरण एवं प्रतिरक्षण की कार्यवाही की जावे, इस कारण न्यायालय में वित्त विभाग का पक्ष नहीं रखा जाता है एवं कतिपय प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है।

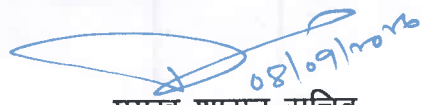
अतः पूर्व में जारी निर्देशों के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि:-

1. जिन न्यायिक प्रकरणों में एक से अधिक पक्षकार हो, उनमें मुख्य हित वाले विभाग द्वारा समस्त विभागों, विशेषकर वित्त विभाग की ओर से समन्वित एवं प्रभावी प्रतिरक्षण किया जावेगा।
2. यदि किसी बिन्दु विशेष पर वित्त विभाग की नीति, वित्तीय अथवा तथ्यात्मक टिप्पणी अपेक्षित हो, तो संबंधित मुख्य विभाग समयबद्ध रूप से वित्त विभाग से अभिमत प्राप्त करेगा।
3. संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि वित्त विभाग सहित सभी आवश्यक विभागों का पक्ष न्यायालय के समक्ष विधिवत एवं समुचित रूप से प्रस्तुत हो।
4. किसी भी स्थिति में केवल प्रक्रियागत कारणों से राज्य सरकार का पक्ष न्यायालय के समक्ष अपूर्ण अथवा अप्रभावी रूप से प्रस्तुत नहीं किया जावेगा।


(वी. श्रीनिवास)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान।
2. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर/जयपुर।
3. समस्त राजकीय अधिवक्तागण/गवर्नमेंट काउंसिल्स, जोधपुर/जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।


प्रमुख शासन सचिव